न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्याः 10/2022

दायर दिनांकः 28.04.2022

निर्णय दिनांक 30.06.2023

–: अनवान :–

(1) श्रीमती भागवन्ती पत्नी श्री पुरषोत्तम जी ब्राह्म्ण (पालीवाल) आयु 65 वर्ष
(2) श्री पंकज पिता श्री पुरषोत्तम जी ब्राह्म्ण (पालीवाल) आयु 39 वर्ष निवासीयान सुन्दरचा तह. व जिला राजसमन्द हाल निवासी इन्दौर (म.प्र.)

– अपीलांटगण

बनाम

(1) तहसीलदार राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द।
(2) श्री रेवाशंकर पिता श्री पुरषोत्तम जी ब्राह्म्ण(पालीवाल) आयु 62 वर्ष ।
(3) श्रीमती तुलसीबाई पुत्री श्री पुरषोत्तम जी ब्राह्म्ण(पालीवाल) आयु वयस्क।
(4) श्रीमती सुशीलाबाई पुत्री श्री पुरषोत्तम जी ब्राह्म्ण(पालीवाल) आयु वयस्क।
(5) श्रीमती मीराबाई पुत्री श्री पुरषोत्तम जी ब्राह्म्ण(पालीवाल) आयु वयस्क।
(6) श्रीमती रूकाबाई पुत्री श्री पुरषोत्तम जी ब्राह्म्ण(पालीवाल) आयु वयस्क।
निवासीयान सुन्दरचा तह. व जिला राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंटगण

अपील विरुद्ध आदेश नामांतरण संख्या 1139 दिनांक 06.02.2013 द्वारा तहसीलदार राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द।

उपस्थितः–

1– श्री प्रवीण मण्डोवरा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01
3– श्री दिनेश खटीक, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2,3,4, व 6
4– रेस्पोडेन्ट संख्या 05 अनुपस्थित

अपीलांटगण द्वारा अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उक्त अपील प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द में श्री पुरषोत्तम पिता श्री जगन्नाथ जी ब्राह्म्ण (पालीवाल) के नाम से दो व्यक्ति थे तथा दोनों ही व्यक्ति ग्राम सुन्दरचा के निवासी थे। एक पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ जी ब्राह्म्ण अपीलाण्टगण के पुर्वाधिकारी थे जो अपीलाण्ट संख्या एक श्रीमती भागवन्ती बाई के पति एवं अपीलाण्ट संख्या 2 के पिता थे तथा दूसरे पुरषोत्तम पिता

जगन्नाथ जी ब्राह्म्ण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के पिता थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के पिता पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण का स्वर्गवास दिनांक 16/07/2007 को हो गया था जबकि अपीलाण्टगण के पुर्वाधिकारी पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण का स्वर्गवास दिनांक 13/02/2022 को हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के पिता श्री पुंरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण की कृषि भूमियां ग्राम सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द अवस्थित रही है उसी प्रकार अपीलाण्टगण के पूर्वाधिकारी पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण की कृषि भूमिया ग्राम सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द अवस्थित रही है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के पिता श्री पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण के स्वर्गवास होने पर विरासत में जो नामान्तरण संख्या 1139 दिनांक 06/02/2013 को खोला गया उसी नामान्तरण में अपीलाण्टगण के पिता श्री पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण की भूमियों का नामान्तरण भी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से एक ही नाम व एक ही पिता का नाम होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के नाम पर गलत खोल दिया गया तथा इसी नामान्तरण के आधार पर अपीलाण्टगण के पूर्वाधिकारी श्री पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण की खातेदारी भूमियों के राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के नाम दर्ज हो गई है। दिनांक 13.02.2022 को अपिलांटगण के पूर्वाधिकारी श्री पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण का स्वर्गवास होने के पश्चात दिनांक 05.04.2022 को ग्राम सुन्दरचा विरासत का नामान्तरण खुलवाने हेतु कार्यवाही करने पर राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने पर अपीलांटगण को भूल व गलती की जानकारी हुई हैं।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से राजकिय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2,3,4, व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश खटीक ने उपस्थिति मय जवाब दी। रेस्पोडेण्ट संख्या 5 बाद तामिल निरन्तर अनुपस्थित हैं।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सुन्दरचा पटवार सुन्दरचा, तहसील राजसमंद का तहसीलदार (भू.अभिलेख) राजसमंद जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 06.02.2013 को खोला गया आक्षेपित नामान्तरण 1139 में खाता संख्या 156 व 157 की भूमियॉ का नामान्तरण सहवन से खाता संख्या 153 व 155 के साथ रेस्पोडेन्ट के पूर्वाधिकारी श्री पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण के वारिसान के नाम खोल दिया गया। जो निरस्त होने योग्य हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 2,3,4, व 6 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि हमारे द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही हमारी बहस समझा जावें। उक्त जवाब कि अनुसार रेस्पोडेन्टगण ने निवेदन किया कि उक्त अपील जो अपीलांट द्वारा आप न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं। उसे हम रेस्पोडेन्टगण स्वीकार करते है ग्राम सुन्दरचा के वर्तमान आराजी नम्बर 1417,1830,1831,1832,1877 व 766 में हमारा कोई हक अधिकार नही हैं। उक्त

न्यायालय जिला कलक्टर

आराजीयात गलती से हमारे पूर्वाधिकारी पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण व अपीलांट के पूर्वाधिकारी श्री पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ जी का एक ही नाम होने से हमारे नाम पर रेकार्ड में अंकित हो गई हैं जो गलत हैं। उक्त सभी आराजीयात को आप न्यायालय द्वारा रेकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज किया जाता हैं तो हमे कोई आपत्ती नही हैं। राजकिय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि उक्त आदेश नामान्तरण संख्या 1139 दिनांक 06.02.2013 नामान्तरण की प्रक्रियानुसार प्रस्तुत साक्ष्य सबूत व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन कर विधी सम्मत प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की पालना कर पारित किया गया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आक्षेपित नामान्तरण 1139 में खाता संख्या 156 में वर्णित आराजी नम्बर 1417,1830,1831,1832,1877 व खाता संख्या 157 में वर्णित आराजी नम्बर 766 का नामान्तरण सहवन से खाता संख्या 153 व 155 के साथ रेस्पोडेन्ट के पूर्वाधिकारी श्री पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण के वारिसान के नाम खोल दिया गया हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 2,3,4, व 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब व बहस में भी उक्त त्रुटि के संबंध में भी सहमती प्रदान की जाकर निवेदन किया गया कि आराजी नम्बर 1417,1830,1831,1832,1877 व 766 में हमारा कोई हक अधिकार नही हैं। उक्त सभी आराजीयात को आप न्यायालय द्वारा रेकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज किया जाता हैं तो हमे कोई आपत्ती नही हैं। उक्त विवेचना के आधार पर प्रतीत होता है कि नामान्तरण संख्या 1139 दिनांक 06.02.2013 के द्वारा खाता संख्या 156 में वर्णित आराजी नम्बर 1417,1830,1831,1832,1877 व खाता संख्या 157 में वर्णित आराजी नम्बर 766 का नामान्तरण सहवन से खाता संख्या 153 व 155 के साथ रेस्पोडेन्ट के पूर्वाधिकारी श्री पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण के वारिसान के नाम खोल दिया गया हैं। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः तहसीलदार (भू.अभिलेख) राजसमंद जिला राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तरण संख्या 1139 दिनांक 06.02.2013 के खाता संख्या 156 में वर्णित आराजी नम्बर 1417,1830,1831,1832,1877 व खाता संख्या 157 में वर्णित आराजी नम्बर 766 की भूमियों के संबंध में अपीलांटगण के पूर्वाधिकारी श्री पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण के विधिक वारिसान की जॉचकर नियमानुसार नामान्तरण खोला जावे।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलार्थीगण श्रीमती श्रीमती भागवन्ती पत्नी श्री पुरषोत्तम जी ब्राह्म्ण (पालीवाल) व श्री पंकज पिता श्री पुरषोत्तम जी ब्राह्म्ण (पालीवाल) आयु 39 वर्ष निवासीयान सुन्दरचा तह. व जिला राजसमन्द हाल निवासी इन्दौर (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू.अभिलेख) राजसमंद जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 06.02.2013 को स्वीकार/पारीत नामान्तरण संख्या 1139 को आंशीक रूप से खारीज किया

न्यायालय जिला कलक्टर

जाकर तहसीलदार (भू.अभिलेख) राजसमंद को आदेशित किया जाता है कि नामान्तरण संख्या 1139 दिनांक 06.02.2013 के खाता संख्या 156 में वर्णित आराजी नम्बर 1417,1830,1831,1832,1877 व खाता संख्या 157 में वर्णित आराजी नम्बर 766 की भूमियों के संबंध में अपीलांटगण के पूर्वाधिकारी श्री पुरषोत्तम पिता जगन्नाथ ब्राह्म्ण के विधिक वारिसान की जॉचकर नियमानुसार नामान्तरण खोला जावे।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 30.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद